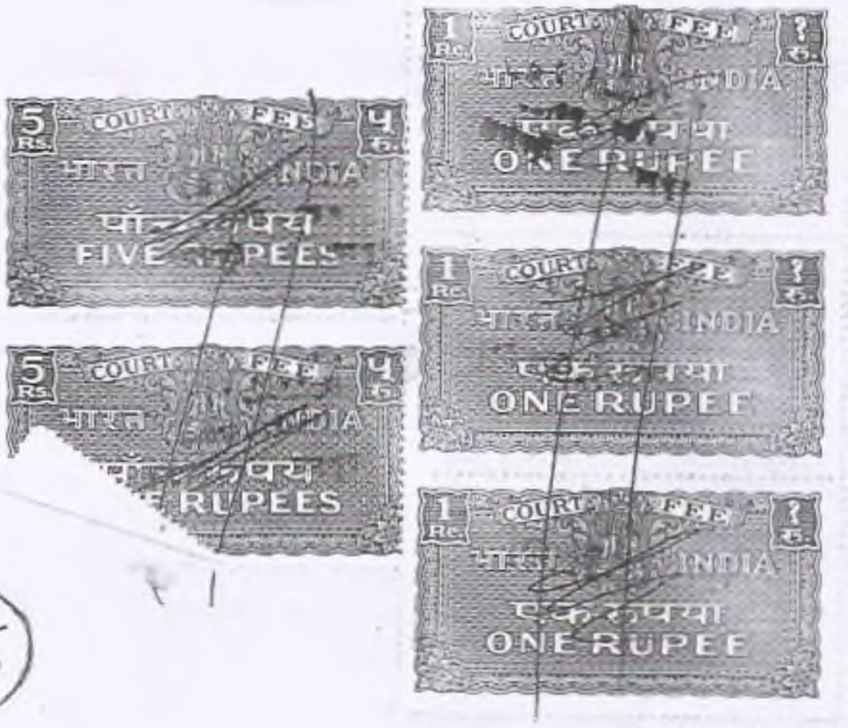

05
13-00

2566
29-8-13

नकल आदेश दि० 27-8-13 द मुकदमा वाद सं० 288 अन्तर्गत धारा 143 ज० वि० आ० श्रीमती श्यामादेवी द्वारा महाविद्यालय, [illegible] सरकार रैंचा बनाम [illegible] न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर सुल्तानपुर दि० 27-8-13

Principal
S D Harsh College of Pharmacy
Raincha, Sultanpur, U.P

नोट: आदेश की [illegible] प्रति [illegible] संलग्न है।

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर सुलतानपुर ।

वाद सं0 288

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0
ग्राम रैंचा परगना इसौली
तहसील सदर जिला सुलतानपुर

श्रीमती श्यामादेवी हर्ष महा0वि0भवानीगढ बनाम उ0प्र0 सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्रीमती श्यामादेवी हर्ष महाविद्यालय भवानीगढ सुलतानपुर द्वारा सोसाइटी बाबा खुशियाल दास शोध एवं शिक्षण संस्थान शुकुलपुर देहली बाजार द्वारा प्रबन्धक विशाल शुक्ल सुत माताहर्ष शुक्ल साकिन शुकुलपुर देहली बाजार अतौला परगना बरौंसा तहसील सदर जिला सुलतानपुर ने गाटा सं0 2296क/0.0330, 2299/0.0060, 2300/0.2450, 2302/0.0760, 2303/0.0890,2307घ/0.0850 2307र/0.0380,2301क/0.0950 कुल रकबा 0.6670 हे0 का 1/3 भाग व गाटा सं0 2293/0.0150, 2265क/0.0160 का सम्पूर्ण भाग कुल 10 किता सम्पूर्ण रकबा 0.2530 हे0 स्थित ग्राम रैंचा परगना इसौली तहसील सदर जिला सुलतानपुर के सम्बन्ध में धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत योजित करते हुए अकृषिक/आबादी प्रख्यापित किये जाने की याचना किया है। पत्रावली स्थलीय आख्या हेतु तहसील भेजी गयी। तहसील से विस्तृत एवं नियम 135 ज0वि0अ0 के प्रारूप पर आख्या संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या में क्षेत्रीय लेखपाल ने यह दर्शाया है कि वाद भूमिं में मौके पर विद्यालय भवन का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें कृषि कार्य नही हो रहा है। अकृषिक प्रयोग में लाया जा रहा है। जिसे तहसीलदार सदर द्वारा दिनांक 13.08.2013 को संस्तुति सहित आख्या प्रेषित किया गया है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध तहसील आख्या, उद्धरण खतौनी सन 1412–1417 फ0 की खाता सं0 377, 247, 246, ग्राम रैंचा, विकय पत्र की छायाप्रति का विधिवत अवलोकन एवं परीक्षण किया तथा वादी को सुना। पत्रावली में उपलब्ध उद्धरण खतौनी को देखने से स्पष्ट है कि वाद भूमि वादी/ के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है। तहसील आख्या को देखने से स्पष्ट है कि वाद भूमि में मौके पर विद्यालय भवन निर्माणाधीन है जिसमें कृषि कार्य नही हो रहा है। अकृषिक प्रयोग में लाया जा रहा है। अतः वाद भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही प्रतीत होती है।

-145

आदेश

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आलोक में आदेश किया जाता है कि उद्धरण खतौनी सन 1412–1417 फ0 के खाता सं0 247, 377, 246 की गाटा सं0 2296क/0.0330, 2299/0.0060, 2300/0.2450, 2302/0.0760, 2303/0.0890,2307घ/0.0850 2307र/0.0380,2301क/0.0950 कुल रकबा 0.6670 हे0 का 1/3 भाग व गाटा सं0 2293/0.0150, 2265क/0.0160 का सम्पूर्ण भाग कुल 10 किता सम्पूर्ण रकबा 0.2530 हे0 स्थित ग्राम रैंचा परगना इसौली तहसील सदर जिला सुलतानपुर को अकृषिक/आबादी प्रख्यापित किया जाता है। तद्नुसार अभिलेखों में अंकित हो। वाद भूमि भू–राजस्व से मुक्त हो। आदेश की प्रति उप निबन्धक सदर को भेजी जाए। बाद परवाना अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांक–

27/8/13

(डा0एस0एन0सिंह)
उप जिलाधिकारी सदर,
सुलतानपुर।

सत्य-प्रतिलिपि

29/8/13

2566
29-8-13
13-00
29-8-13
29-8-13
29/8/13

Principal
S D Harsh College of Pharmacy
Raincha, Sultanpur, U.P